न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 790 / 04 / भीलवाडा

देवीलाल पुत्र गुलाब, जाति तेली निवासी तेलीपाडा धानमण्डी
भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा

......अपीलान्ट

बनाम

1- बालू) पिरान कजोड जाति तेली निवासी भीलवाडा
2- छोटू) तहसील एवं जिला भीलवाडा।
3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

......रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड-पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 13 जुलाई, 2018

निर्णय

1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-1-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या-90/03 शीर्षक बालू आदि बनाम देवीलाल को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-1-2003 निरस्त कर वादी / रेस्पोन्डेन्ट का दावा स्वीकार किया है।

2- द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 व 2 ने एक दावा संख्या-52 /2000 (490/02) अन्तर्गत धारा-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील भीलवाडा ग्राम भीलवाडा के खसरा नम्बर-1731 रकबा 0.16 बीघा (जिसे निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) उनकी नानी मु. हंगामी पत्नी

सुखा के नाम से Record of Right में दर्ज है। उनकी नानी की मृत्यु वर्ष 1980 में हो गयी है। मु. हंगामी की एक मात्र पुत्री वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 की माता झमकू थी। झमकू की भी वर्ष 1992 में मृत्यु हो गयी है। वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 मृतक झमकू के पुत्र है। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि मु. हंगामी बेवा सुखा के नाम से दर्ज है। इसलिये उन्हें खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसके साथ साथ यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप नहीं करें। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। दावा में प्रतिवादी संख्या–1 उपस्थित हुआ, परन्तु उसके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–2003 के द्वारा वादी / रेस्पोन्डेन्ट का दावा खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–2003 से व्यथित होकर वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने प्रथम अपील संख्या–90/03 शीर्षक बालू आदि बनाम देवीलाल, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–1–2004 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–1–2003 निरस्त कर वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का दावा डिक्री कर दिया। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–1–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4– इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि विवादग्रस्त भूमि मु. हंगामी बेवा सुखा की खातेदारी भूमि है। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि मु. हंगामी की एकमात्र पुत्री झमकू थी। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि वादीगण / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या– 1 व 2 मृतक मु. झमकू के बेटे हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–15(1) के तहत हिन्दू मृतक महिला के लडके व लडकी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। मु. हंगामी की मृत्यु के पश्चात मृतक झमकू मु. हंगामी की उत्तराधिकारी हुई। यद्यपि राजस्व रिकार्ड में झमकू का नाम नहीं आया। फिर भी झमकू विवादग्रस्त भूमि की खातेदार हुई। झमकू की मृत्यु के पश्चात मृतक झमकू के दोनों पुत्र वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 उत्तराधिकारी हुये। प्रतिवादी / वर्तमाना अपीलान्ट का एकमात्र आधार यह था कि मृतक झमकू ने कोई

अपील डिक्री / टी.ए. / 790 / 04 / भीलवाडा
देवीलाल बनाम बालू व अन्य

लिखित उसके पक्ष में निष्पादित की है। यह लिखित दावा में प्रस्तुत नहीं कर केवल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 की पत्रावली में फोटो प्रति पेश की गयी है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा–212 के निर्णय के आधार ही दावा का निर्णय किया है, जो पूर्णतया गलत है। अपंजीकृत दस्तावेज से किसी को कोई हक व अधिकार हस्तान्तरित नहीं होते हैं। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा ने विस्तृत तथा तर्क सहित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–1–2004 पारित करते हुये साबित कर दिया कि विवादग्रस्त भूमि के वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ही उत्तराधिकारी हैं। इसी आधार पर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–1–2004 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

5– जहां तक विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 7–1–2003 को अभिभाषक द्वारा No Instruction Plead कर दिया था तो न्यायालय को नोटिस जारी करना चाहिये था। नोटिस जारी नहीं कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गयी है। परन्तु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली देखने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्ट दिनांक 7–4–2000 को उपस्थित हो गया था। दिनांक 7–4–2000 से लेकर दिनांक 23–10–2002 तक प्रतिवादी / अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 23–10–2002 को प्रतिवादी / अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 7–1–2003 को No Instruction Plead किया गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिवादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये थे तो No Instruction Plead करने पर नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6– उपरोक्त निष्कर्ष के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 790 / 04 / भीलवाडा</u>

देवीलाल बनाम बालू व अन्य